झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–3/पी॰एम॰सी॰/प्र॰स्वी॰/132/2016– /राँची, दिनांकः–..............

प्रेषकः

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि॰)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची

द्वाराः– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।**

विषयः– **यॉत्रिक प्रमंडल बनासो (हजारीबाग) के अन्तर्गत हिरू जलाशय योजना के यॉत्रिक कार्यो हेतु रू॰ 18.39 लाख (अठारह लाख उन्चालिस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

1. यॉत्रिक प्रमंडल बनासो (हजारीबाग) के अन्तर्गत हिरू जलाशय योजना के यॉत्रिक कार्य हेतु रू॰ 18.39 लाख (अठारह लाख उन्चालिस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-
   - (i) योजना के सर्बिस एवं इमरजेन्सी गेटों का निर्माण एवं अधिष्ठापन।
   - (ii) इम्बेडेड पार्ट एवं उत्तोलन प्रणाली का निर्माण एवं अधिष्ठापन।
   - (iii) प्लेटफार्म और ट्रेस रैक का निर्माण एवं अधिष्ठापन।
   - (iv) अन्य आवश्यक संबंधित कार्य।
3. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, बनासो, हजारीबाग निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी होगें तथा मुख्य अभियंता (यॉत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होगे।
4. **इस कार्य पर होने वाला व्यय :–**
   मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. इस कार्य का समावेश वर्ष 2017–18, के सी॰ओ॰बी॰टी॰ में समेकित रूप में है।
6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।
7. राशि की निकासी कोषागार, हजारीबाग से की जायेगी।
8. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
9. इन कार्यो को वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ कर एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
11. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।

D:\SE-3\Administrative Apporval\Prasasnik Approval\Hiru Reservoir Scheme.doc

12. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुर्नस्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।

14. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः–3/पी॰एम॰सी॰/प्र०स्वी०/132/2016– **/राँची, दिनांकः–.............**

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः–3/पी॰एम॰सी॰/प्र०स्वी०/132/2016– **/राँची, दिनांकः–.............**

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः–3/पी॰एम॰सी॰/प्र०स्वी०/132/2016– **/राँची, दिनांकः–.............**

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यॉँत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता (यॉँत्रिक) सिंचाई यॉँत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, बनासो, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः–3/पी॰एम॰सी॰/प्र०स्वी०/132/2016– **/राँची, दिनांकः–.............**

प्रतिलिपिः आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर को सूचनार्थ प्रेषित् करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः–3/पी॰एम॰सी॰/प्र०स्वी०/132/2016– 35/1778 5 ·स्वी· **/राँची, दिनांकः–** 01.09.2017

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।

01/09/2017
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)
01/09/17